कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45005/स्थानान्तरण– पदस्थापन/2022 दिनांक 07.08.2022 द्वारा श्री विजय सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि जसोल (220654), बालोतरा जिला बाडमेर का स्थानान्तरण राउमावि बलाउ जती (220699), कल्याणपुर जिला बाडमेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 11836/2022 विजय सिह बनाम सरकार व अन्य दायर की गई। याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2022 द्वारा याचिकार्थी की याचिका को प्रभावहीन होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

श्री विजय सिंह द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. स्पेशल अपील याचिका संख्या 794/2022 विजय सिंह बनाम सरकार व अन्य दायर की गई हैं जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2022 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के कैंसर (THROAT CANCER STAGE THREE) से पीडित होने को मद्‌देनजर रखते हुए अपीलार्थी के प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें बालोतरा ब्लॉक में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर पदस्थापित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।

माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त अंतरिम आदेश के अनुसरण में एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 (जो पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किए गए हैं) में कैंसर पीडित कार्मिक को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किए जाने के निर्देशों के क्रम में अपीलार्थी के प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक पर विचार किया जाकर उनका पदस्थापन राउमावि आसोतरा (220664), बालोतरा जिला बाडमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। श्री विजय सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना में नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना से अवगत करावें।

Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/विजय सिंह/794/2022/03 **दिनांकः** 20-09-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)